(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 9/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 2020

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर्स (प्रिंटर युक्त कैलकुलेटर्स , जिसे सामान्यतया प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है; प्लाट चार्ट और ग्राफ तैयार करने वाले कैलकुलेटर्स जिन्हें समान्यता ग्राफिंग कैलकुलेटर्स के नाम से जाना जाता है; और प्रोग्रामएबल कैलकुलटर्स को छोड़कर)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 8470 के अंतर्गत आते हैं के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मई, 2015 जिसे सा.का.नि. 437 (अ), दिनांक 29 मई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में, अधिसूचना संख्या 7/15/2019-डीजीटीआर, दिनांक 24 सितम्बर, 2019, जिसे दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/15/2019-डीजीटीआर, दिनांक 26 मार्च, 2020, जिसे दिनांक 26 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षो में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि :-

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु की लगातार भरमार हो रही है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो सस्ते मूल्यों पर भारतीय बाजार में आयात के बने रहने की संभावना है;

(ii) चीन जनवादी गणराज्य से हो रहे इस प्रकार के फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;

(iii) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है यदि लागू प्रतिपाटन शुल्क को इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार हो रही भरमार तथा क्षति के जारी रहने की संभावना है;

(iv) ऐसे पर्याप्त प्रभाग हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिए जाने से उक्त वस्तु की भरमार और घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए गए आयात शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मई, **2015**, जिसे सा.का.नि. 437 (अ), दिनांक 29 मई, **2015** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्देशित राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8470	इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर	चीन जनवादी	चीन जनवादी गणराज्य	निग्बो डेली इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट	0.28	अमेरिकी डॉलर	प्रति नग

			गणराज्य	समेत कोई देश	कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर कोई भी उत्पादक			
2.	8470	इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई देश	निग्बो डेली इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर कोई भी उत्पादक	1.22	अमेरिकी डॉलर	प्रति नग
3.	8470	इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर	चीन जनवादी गणराज्य को छोड़कर कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1.22	अमेरिकी डॉलर	प्रति नग

स्पष्टीकरण- इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर", जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

क. प्रिंटरयुक्त कैलकुलेटर्स, जिनको सामान्यता प्रिंटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है ।

ख. प्लाट चार्टस और ग्राफस तैयार करने वाले कैलकुलेटर्स, जिनको सामान्यता ग्राफिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है ।

ग. प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स

2. लगाया गया यह प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/165/2014 –टीआरयू (पार्ट-।।)]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार